फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

तुम्बाराम बनाम देवाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 60 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/2/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/2/19 को पेश हो।	
20/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित / अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया / अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/04/19 को पेश हो /	
10/04/19	प्रार्थी वकील उपस्थित / अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित / न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है / प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेवण स्थापित करवाने आवश्यक	

Scanned by CamScanner

है। इसलिए प्रार्थी का नेशामवली आवेदन स्वीकार किया
जाकर नेशामवली आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधि-
वक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेशामवली आवेदन
स्वीकार किया जाकर नेशामवली आदेश किया जाता
जाता है व तहसीलदार लाडनूं को कमिश्नर नियुक्त
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं
या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक
से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थर नेशामवली
मौके पर कुल्लु जमाकराकर कर पालना रिपोर्ट प्राप्त
होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार
हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

10.4.2019

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 151 दिनांकः– 10/4/19

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. लुम्बाराम पुत्र दूदाराम जाति जाट निवासी सुथारों की ढाणी, बोड़वा तहसील बायतु जिला बाडमेर

1. देवाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट वगैरा 30 निवासी सुथारों की ढाणी, बोड़वा तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 60/ 19

आदेश

मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का बोड़वा के खेत खसरा संख्या 176/32 रकबा 23–06 बीघा व मौजा खवालीया नाडा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 42, 43, 45 कुल रकबा 08–11 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भू.अ.निरिक्षक से प्रार्थीगण के खोतेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

10.4.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 152-156 दिनांकः– 10/4/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लुम्बाराम पुत्र दूदाराम
4. विप्रार्थीगण देवाराम पुत्र श्री गिरधारीराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

10.4.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner